



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 09.06.2024

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना भीरा पुलिस द्वारा, 750 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ (गांजा) बरामद कर अभियुक्त शारदा प्रसाद पुत्र टेकन लाल को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थ के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 09.06.2024 को थाना भीरा पुलिस द्वारा 750 ग्राम अवैध गांजा बरामद करके अभियुक्त शारदा प्रसाद पुत्र टेकन लाल नि0 ग्राम दौलतापुर थाना भीरा जनपद खीरी को भीरा कुकरा रोड़ बहदग्राम भीरा से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 256/2024 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शारदा प्रसाद पुत्र टेकन लाल नि0ग्राम दौलतापुर थाना भीरा जनपद खीरी

बरामदगी:-

750 ग्राम अवैध गांजा बरामद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 मो0 जुबैर अहमद थाना भीरा जनपद खीरी
- 2.का0 संजीव कुमार थाना भीरा जनपद खीरी
- 3.का0 सत्यम शर्मा थाना भीरा जनपद खीरी

थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा, 07 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ (स्मैक) बरामद करके अभियुक्त राजबहादुर कठरिया पुत्र कुल्लूराम कठरिया को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थ के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 08.06.2024 को थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा अभियुक्त राजबहादुर कठरिया पुत्र कुल्लूराम कठरिया निवासी चर्चा बनगांव थाना सीमा जिला कैलाली के कब्जे से 07 ग्राम स्मैक के साथ गुलरिया घाट मार्ग वीर बाबा मन्दिर के पास वहद ग्राम गुलरिया पत्थरशाह थाना तिकुनिया जनपद खीरी से गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 117/24 धारा 8/21 NDPS ACT मे अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

विवरण बरामदगी-

07 ग्राम स्मैक

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

राजबहादुर कठरिया पुत्र कुल्लूराम कठरिया निवासी चर्चा बनगांव थाना सीमा जिला कैलाली नेपाल राष्ट्र

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अभिषेक कुमार
2. हे0का0 केशव कुमार गंगवार
3. का0 विवेक कुमार

थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा, 50 अदद अवैध नशीला टैबलेट (अल्प्राजोलम) बरामद कर अभियुक्त सिरमल पुत्र छोटू को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थ के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 09.06.2024 को थाना तिकुनिया अभियुक्त सिरमल पुत्र छोटू निवासी चर्चा सिविर थाना सीमा जिला कैलाली सुदुर पश्चिम नेपाल राष्ट्र के कब्जे से कुल 05 पत्ते 50 टैबलेट्स अल्प्राजोलम के साथ गुलरिया मार्ग पर सागौन के जंगल के पास वहद ग्राम गुलरिया पत्थर शाह थाना तिकुनिया जनपद खीरी से गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 118/24 धारा 8/22 NDPS ACT में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामदगी-

50 टैबलेट्स (अल्प्राजोलम)

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

सिरमल पुत्र छोटू निवासी चर्चा सिविर थाना सीमा जिला कैलाली सुदुर पश्चिम नेपाल राष्ट्र

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 अभिषेक कुमार
2. हे0का0 केशव कुमार गंगवार
- 3.का0 पोरल बंसला

थाना पढुआ पुलिस द्वारा, 01 नफर वांछित अभियुक्त मंगू उर्फ अमन यादव को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 09.06.2024 को थाना पढुआ पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं 221/2024 धारा 302/504/506 भादवि थाना पढुआ जनपद खीरी में वांछित चल रहे अभियुक्त मंगू उर्फ अमन यादव पुत्र डल्ला उर्फ डालचन्द निवासी ग्राम कन्डौहा मजरा तेलियार थाना पढुआ खीरी को औघाड़ बाबा मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

मंगू उर्फ अमन यादव पुत्र डल्ला उर्फ डालचन्द निवासी ग्राम कन्डौहा मजरा तेलियार थाना पढुआ खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 हरिकेश राय थाना पढुआ खीरी
2. उ0नि0 अभिषेक सिंह चौकी प्रभारी पढुआ
3. हे0का0 अबरार हुसैन थाना पढुआ खीरी

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

1. थाना पसगवां पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 242/24 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित 02 नफर अभियुक्तों अनूप पुत्र सोमपाल एवं नन्ही देवी पत्नी सोमपाल निवासीगण ग्राम बरखेरिया थाना पसगवां तथा मु0अ0सं0 233/24 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित 03 नफर अभियुक्तों सत्यम पुत्र रामनरेश, रामनरेश पुत्र राजाराम एवं श्यामादेवी पत्नी रामनरेश निवासीगण ग्राम सलीया थाना पसगवां जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
2. थाना पलिया पुलिस द्वारा, अ0सं0 3503/17 धारा 2/51/27 यूपी वन अधि0 से संबंधित वारंटी रामचन्द्र पुत्र रौशन निवासी बसंतापुर थाना पलिया जनपद खीरी, अ0सं0 1064/18 धारा 27/29/31/35/49 वन अधि0 से संबंधित वारंटी रामाधीन पुत्र पुनई निवासी बसंतापुर थाना पलिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 405 लीटर अवैध शराब बरामद कर 22 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **405 लीटर अवैध शराब** बरामद कर **22 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **22 अभियोग** पंजीकृत किए गए।